

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

 PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 474]
 नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2017/अग्रहायण 28, 1939

No. 474] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

- सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई(2017 का संख्या 6).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ("आधर अधिनियम") की धारा 23(2)(एच) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा "आधार भुगतान ब्रिज- एनपीसीआई मैपर में बैंक खातों को रखने और ओवरराइड करने की प्रक्रिया" से संबंधित निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है:—
- 1. जबिक, आधार धारकों से अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनकी सब्सिडी, विशेष रूप से एलपीजी गैस (पहल) को उनके नामित बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। लोकनीति फाउंडेशन मामले (रिट याचिका सिविल 607/2016), में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6 फरवरी, 2017 के निर्णय के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को सभी मोबाईल नम्बर आधार के साथ सत्यापित करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जब एक आधार धारक दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास अपना मोबाईल नम्बर आधार के साथ सत्यापित करवाने जाता है, तो एयरटेल उनका पेमेंट बैंक अकाउंट खोल रहा है और आधार धारक को जानकारी दिए बिना उस बैंक खाते को, विद्यमान बैंक खाता मैपिंग की ओवरराइडिंग करके, एनपीसीआई के एबीपी मैपर पर रख रहा है।
- 2. और जबिक, इसी तरह की समस्या का सामना आधार धारकों द्वारा उस समय किया जा रहा है, जब वे पीएमएल नियमों के अनुपालन में अपना बैंक खाता आधार के साथ सत्यापित करवा रहे हैं। कई बैंक, खाता धारकों की सूचित सहमित के बिना, मौजूदा बैंक खाते को एनपीसीआई एपीबी मैपर पर आधार सीडिंग करते हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्राप्त सब्सिडी आधार भुगतान ब्रिज मैपर में, लाभार्थी की जानकारी और सूचना के बिना नए/नवीनतम बैंक खाते में जमा हो रही है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बैंक को उसका बैंक खाता मैपर

7233 GI/2017 (1)

पर डालने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करनी होगी। इन निर्देशों का मूलत: अनुपालन न करने पर उपरोक्त शिकायतें आ रही हैं और खाता-धारकों को असुविधा हो रही है।

- 3. और जबिक, उपर्युक्त कारणों से, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को असुविधा हो रही है, क्योंकि वे सब्सिडी की प्राप्ति के बारे में नहीं जानते हैं और पेमेंट बैंक खातों से सब्सिडी राशि को वापस लेने में भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि पेमेंट बैंकों की इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में शाखाएं अथवा नकद निकासी केन्द्र भी नहीं होते हैं।
- 4. इसलिए, उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए, आधार अधिनियम, 2016 की दोनों धाराओं 8 और 29 की उप-धारा (2) और (3), आधार (प्रमाणीकरण) विनियम, 2016 के विनियमों 6 व 17, और आधार (सूचना का साझाकरण) विनियम, 2016 के विनियमों 4, 5 और 6 के अनुसार और आधार धारकों को आगे की असुविधाओं से बचने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस उद्देश्य के लिए आधार सृजित किया गया है, वह आधारधारकों को सूचित सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग न किया जाए, यूआईडीएआई बैंकों और एनपीसीआई को निम्नानुसार निर्देशित करता है:—
  - 4.1 एनपीसीआई केवल तभी आधार धारक से संबंधित अनुरोध को ओवरराइड की अनुमित देगा, जब इसके साथ एपीबी मैपर पर उनके मौजूदा बैंक का नाम हो और अनुरोधकर्ता बैंक यह पृष्टि करे कि उसने मैपर पर अनुरोधकर्ता बैंक में स्विच करने के लिए आधारधारक से अपेक्षित सहमित प्राप्त कर ली है।
  - 4.2 जब तक उपर्युक्त को कार्यान्वित किया जाता है, एनपीसीआई एपीबी मैपर पर ओवरराइड सुविधा को तुरंत अक्षम करेगा।
  - 4.3 बैंक नए खातों की मैपिंग या मौजूदा बैंक खाते को एनपीसीआई में ओवरराइड करने के लिए केवल अपने ग्राहकों की स्पष्ट सूचित सहमति लेने के बाद ही अनुरोध भेजेंगे।
  - 4.4 बैंक प्रत्येक खाताधारक को 24 घंटे के भीतर एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से यह सूचित करेंगे कि एनपीसीआई को उनके बैंक खाते को मैपर पर डालने के लिए या, जैसा भी मामला हो, एनपीसीआई मैपर पर उनके बैंक खाते (मैपर पर मौजूदा बैंक का नाम और बैंक के नाम के साथ नए बैंक के खाता संख्या के आखिरी चार अंक उपलब्ध कर) को बदलने के लिए अनुरोध भेजा गया है और यदि वह मैपर पर अपना नया बैंक खाता नहीं रखना चाहता है, तो ग्राहक को इस मैपिंग को रिवर्स करने के लिए एक पद्धति प्रदान की जानी चाहिए।
  - 4.5 यदि किसी ग्राहक के पास ई-मेल या मोबाइल नंबर नहीं है और पैरा 4.4 के अनुसार सूचना नहीं भेजी जा सकती है, तो एनपीसीआई मैपर को अनुरोध भेजने से पहले एक सहमित प्रपत्र पर उसके प्रत्यक्ष हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए।
  - 4.6 यूआईडीएआई विनियमों के अनुसार बैंकों द्वारा पैरा 4.3 में प्राप्त सहमति और पैरा 4.1, 4.3, और 4.4 में किए गए पत्र व्यवहार और पैरा 4.5 में सहमति प्रपत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि का रिकार्ड 7 वर्षों तक अनुरक्षित रखा जाएगा।
  - 4.7 आधार (प्रमाणीकरण) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बैंक और एनपीसीआई ऑडिट के समय उपर्युक्त रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे।
- 5. इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन आधार अधिनियम, 2016 की धारा 37, 40, 41, 42 और 43, और इसके अधीन बनाए गए विनियमों तथा भारत के अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा।

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआईडीएआई

[विज्ञापन-III/4/असा./346/17]

## UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th December, 2017

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 6 of 2017).—In exercise of the powers conferred by Section 23 (2)(h) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby issues the following notification regarding "Process for placing and overriding bank accounts on Aadhaar Payment Bridge–National Payments Corporation of India (NPCI) Mapper":—

- 1. Whereas various complaints are being received from the Aadhaar holders that their subsidy particularly of LPG gas (PAHAL) has not been credited in their designated bank account. As per the Supreme Court Judgment dated 6<sup>th</sup> February, 2017 in Lokniti Foundation case (W.P. (Civil) No. 607/2016), the Department of Telecom has issued instructions to Telecom Operators to verify each mobile number with Aadhaar. There have been complaints that, when an Aadhaar holder visits the telecom service provider for verifying his mobile number with Aadhaar, Airtel is opening his payment bank account and putting that bank account on NPCI's APB mapper overriding the existing bank account mapping without the informed consent of the Aadhaar holder.
- 2. And Whereas similar problem is being encountered by the Aadhaar holders, when they are verifying their bank accounts with Aadhaar in compliance of PML Rules. Many banks are seeding Aadhaar on NPCI APB mapper overriding existing bank account mapping without informed consents of the residents. As a result, the subsidy from the Government under various schemes are getting credited in the new/ latest bank account on Aadhaar payment Bridge mapper without knowledge and informed consent of the beneficiary. As per the extant instructions, every bank has to obtain express consent of the individual before putting his bank account on the mapper. Non-compliance of these instructions at the ground level is leading to aforesaid complaints and inconvenience to account holders.
- 3. And Whereas due to the above, people particularly in rural and remote areas are being put to inconvenience as they are clueless about receipt of subsidy and also unable to withdraw the subsidy amount credited in payment bank accounts as payment banks are not having branches or cash out points in sufficient number in these areas.
- 4. Therefore, the UIDAI, in accordance with Sub sections (2) & (3) of both Sections 8 and 29 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 "Aadhaar Act 2016", Regulation 6 and 17 of Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016, and Regulations 4, 5 and 6 of Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016 and to avoid further inconveniences to Aadhaar holders and to ensure that the Aadhaar collected for a purpose is not used for any other purpose without informed consent of the Aadhaar holders, hereby directs banks and NPCI as below:—
  - 4.1. NPCI shall allow override request pertaining to an Aadhaar holder only if it is accompanied by the name of his current bank on the APB mapper and confirmation from the requesting bank that it has obtained the requisite consent of the Aadhaar holder for switching to the requesting bank on the mapper.
  - 4.2. Till above is implemented, NPCI shall disable the override feature on the APB mapper immediately.
  - 4.3. Banks shall send request for mapping of a new account or overriding an existing bank account to NPCI only after taking explicit informed consent of their customers.
  - 4.4. Banks shall inform each account holder through sms and email within 24 hours that a request has been sent to NPCI to put his bank account on the mapper or, as the case may be, to change his bank account on the NPCI mapper (providing the name of current bank on the mapper and the last four digits of the account number of the new bank alongwith the bank name) and in case he does not want to put his new bank account on the mapper, then the customer should be provided a methodology to reverse this mapping.

- 4.5. If a customer does not have email or mobile number and communication as per para 4.4 cannot be sent, then his physical signature on a paper consent form should be obtained prior to sending the request to NPCI mapper.
- 4.6. The records of consents obtained in Para 4.3 and the communications made in Para 4.1, 4.3, and 4.4 and scanned copy of the consent form in Para 4.5. shall be retained for 7 years by the banks as per the UIDAI Regulations.
- 4.7. Banks and NPCI shall make available the aforesaid records at the time of audit as per the provisions of Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016.
- 5. Any violation of these directions shall amount to violation of Sections 37, 40, 41, 42, and 43 of the Aadhaar Act, 2016 and Regulations framed thereunder and other applicable laws of India.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer, UIDAI

[ADVT.-III/4/Exty./346/17]